मनरेगा में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भागीदारी का अध्ययन (रायबरेली जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 सूर्य कुमार,
सहायक आचार्य, विभाग अर्थशास्त्र, संघटक राजकीय महाविद्यालय, पूरनपुर–पीलीभीत

शोध सारांश

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भागीदारी का अध्ययन, रायबरेली जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका सुनिश्चत करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्तियों का सृजन करने के उद्देश्य से मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों में कम से कम तिहाई महिलाओं का होना आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा रोजमर्रा के घरेलू कार्यो के अतिरिक्त खेतों की बुआई, पशुओं को चरा खिलाना, पशुओं को नहलाना, फसलों की सिंचाई, फसलों की कआई करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यो को किया जाता है। इन कार्यो को संपादित करने से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक रुप से स्वावलंबी एवं सशक्त होना संभव नहीं है। इस स्थिति में मनरेगा योजना, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त करने का बहुत अच्छा विकल्प है।

प्रस्तावनाः–

वर्तमान में देश की लगभग 68.84% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः गाँवों को देश के विकास की धुरी कहा जाना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। गाँवों में निवासित ग्रामीणजनों की आय का प्रमुख स्त्रोत् पशुपालन व कृषि संबंधी कार्य है। इन सभी कार्यो में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि देश में खेतीहर मजदूरों व स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों में आधी संख्या महिलाओं की है। इस प्रकार कृषि एवं पशुपालन कार्यो में महिलाओं की सशक्त एवं सक्रिय भागीदारी के कारण ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। सूरज की पहली किरण के साथ ही ग्रामीण महिलाओं की व्यस्त दिनचर्या प्रारम्भ हो जाती है जो अनवरत सूर्यास्त के बाद तक चलती रहती है। घरेलू कार्य कृषि, पशुपालन आदि कार्यो में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में प्रभावी भूमिका निभाती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए एवं ग्रामीण महिलाओं को सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकार को कानून द्वारा लागू करने की दिशा में महात्मा गाँधी य ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून कार्य की तलाश में भटकने वालों को उनके अधिकार के रुप में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। ग्रामीण महिलाएँ घर–गृहस्थी का कार्य करने के पश्चात् गाँव में ही रोजगार प्राप्त करके आर्थिक रुप से सशक्त बन रही है।

शोध के उद्देश्य

1. ग्रामीण महिलाओं कि आर्थिक स्थिति का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
2. मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् ग्रामीण महिलाओं के जनजीवन में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

1. मनरेगा से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है।
2. मनरेगा के सम्बंध में ग्रामीण महिलाओं में जागरुकता के आभाव के कारण उनकी भागीदारी कम हुई है।
3. मनरेगा के कारण ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कोई वृद्वि नहीं हुई है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र

प्रस्तुत शोध कार्य वैज्ञानिक पद्धाति पर आधारित है, जो सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य के विभिन्न आयामों को समाहित किए हुए है। शोध प्रबन्ध में समाहित विभिन्न पहलु का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त समग्र में से इकाईयों के चयन हेतु आकस्मिक निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के लिए रायबरेली जिले के दो विकास खण्डों सरेनी एवं लालगंज का चयन दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। इन विकास खण्डों से 5–5 गाँवों का चयन किया गया। इस प्रकार दोनों विकास खण्डों से कुल 10 गाँवों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित गाँव में से 25 महिलाओं का चयन किया गया, जिनके मनरेगा अन्तर्गत जॉब कार्ड बने है। इस प्रकार शोध कार्य हेतु कुल 250 महिलाओं से प्राथमिक समंकों का संकलन किया गया है। शोध कार्य हेतु द्वितीयक समंकों का भी उपयोग किया गया है।

प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु अवलोकन एवं साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षत्कार अनुसूची में बंद एवं खुले विकले वाले प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। खुले विकल्पों वाले प्रश्नों हेतु सर्वेक्षण के पश्चात् प्राप्त जानकारी के आधार पर एक संकेत पुस्तिका तैयार की गई। उक्त संकेत पुस्तिका के आधार पर साक्षात्कार अनुसूची में संकेतीकरण किया गया। इसके पश्चात् सभी तथ्यों को कम्प्यूटर के माध्यम से विश्लेषित किया गया है।

द्वितीय समंकों का संकलन उत्तर प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित दस्तावेज, शासकीय प्रकाशन, विषय से सम्बद्ध ग्रन्थ, शोध पत्र–पत्रिकाएँ, प्रतिवेदन आदि से किया गया है।

विश्लेषण

ग्रामीण समुदाय को सुविधा उपलब्ध कराने एवं आजीविका के अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यमों से प्रयास किए जाते रहे है। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए रोजगारमूलक योजनाएँ लागू की गई है। इन योजनाओं के परिणाम स्वरुप जहाँ एक ओर ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला वहीं दूसरी और ग्रामीण क्षेत्र में मूलभत अधोसंरचना का विकास भी हुआ। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी रोजी–रोटी चलाने के लिए रोजगार और उनकी आय में बढ़ोतरी करना भी होता है। सामान्य रुप से यह भी देखा गया है कि वर्ष में कई बार ऐसे

अवसर भी आते है, जबकि गाँव में रहने वाले कई परिवार को सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अन्तर्गत काम नहीं मिल पाता है एवं न ही उन्हे अन्य रोजगार भी मिल पाता है। ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार की तलाश में परिवार के सदस्य रोजगार के लिए पलायन के लिए मजबूर हो जाते है या वे जीवन के लिए जरुरी साधनों के बिना ही जीवन गुजारने के लिए विवश होते है। पूर्व मे संचालित रोजगारमूलक योजनाओं के प्रभावों से गाँव के लोगों को रोजगार के अवसर तो मिल रहे थे, किन्तु रोजगार चलाने वाले सभी परिवारों की आजीविका की सुनिश्चिता का आभाव बना ही रहा। इन्ही अभावों को दूर करने की दृष्टि से कारगर समाधान ढूढ़ने के लिए विगत वर्षो से विचार किया जा रहा था। आवश्यकता थी कि इस सम्बंध मे कानून बनाया जाए और सम्पूर्ण देश में लागू किया जाए।

इसी समस्या के निदान के प्रयास में वित्त वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम नरेगा'' 2 सितम्बर 2005 अस्तित्व में लाया गया। और इसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के अन्नतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरुआत की गई। प्रारंभिक चरणों में इसे देश के 200 जिले मे लागू किया गया। 2007–08 में इसका क्रियान्वयन 330 जिलों तक बढ़ाया गया और 5 वर्ष के मूल लक्ष्य से पहले तीन वर्ष के अन्दर 1 अप्रैल 2008 से देश की 140 वीं जयंती पर इसका नया नामकरण किया गया। अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा) को महात्मा गाँधी के नाम पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के नाम से पुकारा जाने लगा है। इस योजना के अन्तर्गत अकुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी एक परिवार के लिए है, न कि किसी परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इसका मतलब यह है कि सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जैसे एक परिवार में चार सदस्य हैं और वे योजना के काम करने को तैयार हैं, तो चारों सदस्यों का कुल मिलाकर कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।

योजना के लाभार्थी

गाँवों में निवास करने वाले पंजीयक परिवार का वयस्क सदस्य, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो और वह अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार हो। जॉब कार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो। प्रत्येक पंजीयत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा।

मनरेगा योजनान्तर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भागीदारी के अध्ययन हेतु किए गए शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि रायबरेली जिले में इस योजना में युवा वर्ग की भागीदारी सर्वाधिक है जिनकी आयु 26 से 45 वर्ष के बीच है। ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का स्तर भी निम्न है, जिसके कारण वह अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। ग्रामीण महिलाओं में अधिकांश के पास बी0पी0एम0 कार्ड है, जो यह दर्शाता है कि वे आर्थिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़ी हुई है। हितग्राही महिलाओं में से अधिकांश के पास स्वयं के स्वामित्व वाले कच्चे मकान हैं एवं वे कृषि मजदूरी से जीविकोपार्जन करती है। मनरेगा से संबन्धित प्रावधानों जैसे सूचना का अधिकार प्राथमिक चिकित्सा, झूलाघर, दुर्घटना के समय इलाज, आराम का समय, मेट प्रणाली आदि के सन्दर्भ मे उन्हे जानकारी नहीं है। जागरुकता के अभाव के कारण वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। मनरेगा योजनान्तर्गत प्राप्त मजदूरी का उपयोग परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिससे

वे स्वयं आर्थिक रुप से स्वावलंबी नही बन पा रही है। मनरेगा से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तन के सन्दर्भ मे अध्ययन से यह पता चलता है कि 48.8 प्रतिशत महिलाओं पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ है।

दूसरी तरफ यह योजना गाँव से शहर की ओर पलायन को रोकने में चमत्कारिक परिवर्तन लायी है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार प्राप्त हुआ है एवं मजदूरी की दर में भी वृद्वि हुई है। मनरेगा से प्राप्त मजदूरी का उपयोग ग्रामीण महिलाओं द्वारा चालू पूंजी के रुप में किया जाता है।

सुझाव

मनरेगा में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भागीदारी को बढ़ाने हेतु निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत है।

1. मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य की नियमित्ता एवं यथोचित पारिश्रमिक की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना के प्रावधानों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
3. मनरेगा में कार्यशील दिनों की संख्या में वृद्वि करना चाहिए।
4. मजदूरी का भुगतान दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए।
5. मजदूरी की दर बाजार में प्रचलित दर के समान होना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात मनरेगा के सम्बंध में संकलित प्राथमिक समंकों के संकलन से ज्ञात होता है कि मनरेगा योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रावधानों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरुप मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त नहीं है। मनरेगा प्रावधानों का उचित रुप से क्रियान्वयन न होने, सुविधाओं के अभाव, कार्य में नियमितिकरण न होने, उचित पारिश्रमिक न मिलने के कारण मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण हेतु भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

सन्दर्भ

1. शर्मा प्रेम नारायण (2011): विनायक वाणी,गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेंटर लखनऊ।
2. श्रीवास्तव, सुधा रानी (2007) भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमनवेल्थ पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
4. जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त पुस्तिकाएँ।
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय रायबरेली
6. पंचायिका उत्तर प्रदेश शासन।
7. मनरेगाकी बेवसाईट www.mnrega.nic.in